क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
04.04.24	वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत हुयी। वकील रैस्पो0 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में मूल प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुआ था एवं उसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत हुआ। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दर्ज कर दिया एवं दिनांक 07.03.2022 को अपीलाण्ट रघुनाथ के पक्ष में एक पक्षीय अन्तरिम स्थगन दे दिया। तत्पश्चात् दिनांक 20.02.2024 को उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी है। प्राथमिक आपत्ति यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में मूल प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है। अतः भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित आदेश की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। प्रकरण में क्षेत्राधिकार का बिन्दु निहित है एवं क्षेत्राधिकार का बिन्दु कभी भी किसी भी स्टेज पर उठाया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज फरमायी जावें। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2022–23 पेज 364 का उद्धरण प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था। जिसे न्यायालय ने 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दर्ज कर दिया। इस तथ्य की पूर्ण जानकारी रैस्पो0 को रही है। प्रार्थना पत्र की नकल ली है एवं अंतरिम आदेश दिनांक 07.03.2022 की भी नकल ली गयी है। परन्तु रैस्पो0 ने इस बाबत् कोई आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में नहीं की गयी है। अन्ततः प्रकरण अपीलाधीन आदेश से अंतिम रूप से निस्तारित हो गया। रैस्पो0 ने पूरी कार्यवाही 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ही मानते हुये भाग लिया है। अतः इस स्तर पर उक्त आपत्ति लेने से प्रतिबंधित हैं। अपीलाधीन आदेश 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही पारित हुआ है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने गलत दर्ज किया है। अतः अपीलाण्ट का इसमें कोई दोष नहीं है। प्रार्थना पत्र 212 आरटीए की अपील का सुनवाई क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को ही प्राप्त है। यदि न्यायालय हाजा अपील को अधीनस्थ न्यायालय को वापस लौटाती है तो रिकार्ड व मौके की यथास्थिति रखकर लौटाने का निवेदन किया। जिससे पक्षकारो के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। अंत में प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति निरस्त किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है एवं मूल प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का है। रैस्पो0 की आपत्ति है कि चूंकि मूल प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का है एवं भू राजस्व अधिनियम के प्रकरणो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। अपीलाण्ट का कथन है कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में दर्ज किया है एवं प्रार्थना पत्र 212 आरटीए की अपील का सुनवाई क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को ही प्राप्त है। हमने मनन किया। यह सही है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में मूल प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का ही प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को धारा 212 आरटीए में दर्ज करने में चूक	

की है। इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में ना तो अपीलाण्ट एवं ना ही रैस्पो0 ने कोई उज्र किया। चूंकि अपीलाधीन आदेश धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रकरण में पारित हुआ है एवं भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरणो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। परन्तु हम यहाँ यह भी स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर पारित किया। लिहाजा प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए की अपील न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में रहती है। यदि रैस्पो0 प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं करते तो उक्त तथ्य न्यायालय हाजा के संज्ञान में नहीं आता। चूंकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय, प्रार्थी/अपीलाण्ट एवं अप्रार्थी रैस्पो0 तीनो से ही चूक हुयी है। अतः हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इसी स्तर पर इस निर्देश के साथ लौटाना उचित समझते हैं कि वह उक्त चूक को सुधारने अथवा नये रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराते हुये उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करें, तब तक उभयपक्ष खसरा नम्बर 203 व 204 के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर